



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1942 (श10)
(सं0 पटना 129) पटना, बुधवार, 24 फरवरी 2021

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
18 फरवरी 2021

सं0 सं0का0 1/वि0मं0 (महानुभाव)—07-06/2013-181—विभागीय अधिसूचना संख्या-79 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा श्री श्रवण कुमार, सं0वि0स0, क्षेत्र संख्या-176 (नालन्दा), मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल को बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 (क) में तहत् दिनांक 04.01.2021 के प्रभाव से मंत्री के समान सुविधा दी गयी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-151 दिनांक 09.02.2021 एवं अधिसूचना संख्या-152 दिनांक 09.02.2021 के द्वारा श्री श्रवण कुमार, सं0वि0स0 क्षेत्र संख्या-176 (नालन्दा) को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का सदस्य नियुक्त करते हुए ग्रामीण विकास विभाग का कार्य आबंटित किया गया है तथा उन्हें बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के तहत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें (निजी कर्मचारी की सुविधा सहित) अनुमान्य हो गयी हैं। अतः उन्हें बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 के आलोक में मुख्य सचेतक मनोनित होने के कारण मंत्री के समान सुविधायें दिनांक 09.02.2021 के प्रभाव से देय नहीं होगी।

एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-79 दिनांक 22.01.2021 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

fcgkj&jkT;iky di vkn'k l]
ct:'k egjk=k]
vij e[; lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 129-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>